1

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
संख्या– 1961 /प्र0फी0नि0स0/2019
लखनऊ दिनांक 26 नवम्बर, 2019

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 अधिनियम 2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली–2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय 177 अभियन्त्रण संस्थाए जिनका मानक शुल्क से इतर शुल्क शैक्षिक सत्र 2017–18 2018–19 एवं 2019–20 कुल तीन वर्षो के लिए निर्धारित किया गया। उन संस्थाओं के लिए वर्ष 2020–21 हेतु समिति द्वारा पूर्व से संचालित संस्थाओं हेतु निर्धारित मानक शुल्क आदेश दिनांक 19.06.2018 द्वारा निर्धारित मानक शुल्क ही (177) संस्थाओं हेतु शैक्षिक सत्र 2020–21 (एक वर्ष) के लिए निर्धारित किया जाता है, जो निम्नवत् है:–

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु:–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2020–21 हेतु
01	बी0टेक0	55000.00
02	बी0फार्मा0	63300.00
03	बी0आर्की0	57730.00
04	बी0एफ0ए0	85250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	70000.00
07	एम0बी0ए0	59700.00
08	एम0सी0ए0	55000.00
09	एम0फार्मा0	68750.00
10	एम0आर्की0	57500.00
11	एम0टेक0	57500.00

Sonkar 19 manak shulk aadesh

Khan

3. जो संस्थायें उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार्य करना चाहती हैं वे समिति की बेवसाइट www.afrcup2018.in पर अपना ऑन लाईन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेगी। प्रत्येक संस्थान को आवेदन द्वारा अपना विकल्प देना वाँछनीय है चाहे वह मानक शुल्क से सहमत हो अथवा नही, जिन संस्थान द्वारा मानक शुल्क स्वीकार करते हुए अपनी सहमति उपलब्ध करा दी जाएगी उनके मानक शुल्क आदेश सहमति प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर निर्गत कर दिये जाएगे।

4. ऐसी संस्थाये जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है, उन्हे समिति के समक्ष मानक शुल्क आदेश निर्गत होने के विलम्बतम् 30 दिन के अन्दर आवेदन करना होगा। संस्थाओं द्वारा आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 के विनियम–4(4) में निर्धारित बिन्दुओं के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत करेगी, जिनके अभाव में उस मद के व्यय का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/लेखा–विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेख बेवसाइट www.afrcup2018.in पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध कराएगे। उक्त के अतिरिक्त विशेष रूप से संस्था द्वारा शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टाफ को वेतन में दी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु निर्गत फार्म–16 एवं टी0डी0एस0 प्रमाण–पत्र आयकर विभाग की अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न तो मानक शुल्क की सहमति प्रदान की गई है और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है तथा उन संस्थानों हेतु भी 30 दिन उपरान्त मानक शुल्क के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

6. उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क की सूचना समिति की बेवसाइट www.afrcup2018.in पर जनसाधारण हेतु उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित शुल्क की सूचना संस्थान अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगे।

Khan

7. किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जायेगा। समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या अधिनियम–2006, विनियमावली–2015 में दिये गये व्यवस्था या उसके किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो समिति विनियमावली–2015 के बिन्दु–11 में दी गयी व्यवस्थानुसार संस्था के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

Khan
(एफ0आर0 खान)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक/प्राचार्य, निजी क्षेत्र की (177) डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
(2) कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
(5) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग।
(6) प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
(7) प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
(8) सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Khan
(एफ0आर0 खान)
सचिव

Sonkar 19 manak shulk aadesh